

WESTERN RAILWAY

P.S.No.40/2011

Headquarter Office,
Churchgate, Mumbai-20

No. EP E(R&T)120/10 Vol XVIII

Date: 06.04.2011

To.

All DRMs / CWMs & Units Incharge,

C/- Genl. Secy., WREU-GTR / WRMS-BCT.

C/- GS-All India SC/ST Rly Employees. Assn, 'W' Zone, Mumbai

C/- GS-All India CBC Rly Empl. Assn, Mumbai.

Sub: Apprentices Act. 1961 - Payment of stipend to the Trade Apprentices -
increase in the rate of.


=====

A copy of Railway Board's letter No. E(MPP)2007/6/3 dated 09.03.2011 (R.B.E.No.31/2011) is sent herewith for information, guidance and necessary action.

Railway Board's letter mentioned therein are circulated as under:

Sr. No.	Railway Board's letter No. and date and RBE No.	Circulated under this office letter No. and date and P.S.No.
1	E(MPP)2007/6/3 dt. 23.8.2007 RBE No. 109/2007	E(R&T)120/10 Vol. XVII dt. 12/20.9.2007 P.S No. 132/2007

Encl: As above.


(S. Kadmani)
For General Manager(E)

पत्र (आर एण्ड टी)/120/10 भाग-XVII

दि. 08/04-2011

म. र. प्र. / म. का. प्र. और युनिट इन्चार्ज

प्रति : महामंत्री- ब. र. ए. यू.- ग्राहकों/ब. र. म. स. - मुंबई सेंट्रल,

प्रति : महामंत्री- ऑल इंडिया अ. ज. / अ. ज. ज. रेल कर्म., एसो. 'वेस्ट' होम, मुंबई,

प्रति : महामंत्री- ऑल इंडिया ऑ. बी. सी. रेल कर्मचारी एसोसिएशन, मुंबई,

विषय : प्रशिक्षु आधिनायक, 1961 ट्रेड प्रशिक्षुओं को भुगतान की दर में वृद्धि करना

रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 09.03.2011 के पत्र सं. ई (एम पि पी)2007/6/3 (आर बी ई सं. 31/2011) की प्रति आपकी सूचना, मार्गदर्शन व आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जाती है।

बोर्ड के उपरोक्त पत्र में अलिखित रेलवे बोर्ड के पत्रों को निम्नानुसार परिपत्रित किया गया है।

क्र. सं.	रेलवे बोर्ड के पत्र सं तथा दिनांक तथा आर बी ई. सं.	इस कार्यालय का पत्र, दिनांक तथा पी.एस सं जिससे परिपत्रित किया गया।
1.	ई (एम पी पी)2007/6/3 दि. 23.8.2007 आर बी ई. सं. 109/2007	ई (आर एण्ड टी)120/10 भाग XVII दि. 12/20.9.2007 पी एस सं 132/2007

संलग्न : यथावत

(एस कडेमणी)
कृते महाप्रबंधक (स्था)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

RBE No. 31/2011

SC No. 26 to MC.8/2008

No.E(MPP)2007/6/3

New Delhi, dated: 9.2.2011

The General Manager(P)
All Indian Railways and
Production Units


Subj: Apprentices Act, 1961 - Payment of stipend to the
Trade Apprentices - Increase in the rate of -

Please refer to Railway Ministry's letter of even number dated 23.8.2007
(RBE No.109/2007) on the above subject.

It has been decided that the Trade Apprentices engaged on the Indian
Railways under Apprentices Act 1961 should be paid stipend with effect from 18th
October 2010 at the revised rates as notified in the Ministry of Labour's Notification
No.DGET-23(4)(3304)2010-AP dt.28.10.2010 published in Gazette of India
Extraordinary (Copy of the notification is enclosed). The expenditure should be met
from with the existing budget allotment.

This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of
Railways.

Please acknowledge receipt.



(Anil Wasan)
Dy. Director (MPP)
Railway Board

No.E(MPP)2007/6/3

New Delhi, dated: 9.3.2011

Copy forwarded for information to:

1. FA&CAO, All Indian Railways and Production Units, Metro, CORNOW, CORE.
2. The Deputy Controller & Auditor General of India (Railways), Room No.224, Rail
Bhawan (with 40 spars)


For Financial Commissioner/Railways

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रिजर्व बोर्ड)

आरबीई सं. 4/2011

एमसी 8/2008 का एमसी सं. 26

सं. ई (एमपीए) 2007/6/3

नई दिल्ली, दिनांक: 02.02.2011

महासंचालक (नॉर्मल),
मार्ग भारतीय रेल और अत्याधुन इकाइयां।

विषय: प्रशिक्षु अधिनियम, 1961- ट्रेड प्रशिक्षुओं को भुगतान की जाने वाली छान्दूति को दर में वृद्ध करना।

उपरोक्त विषय पर रेल मंत्रालय के दिनांक 23.08.2007 के समसंख्यक पत्र (आरबीई सं. 109/2007) का अद्ययावत कर।

इस विवरण किमा गया है कि प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत भारतीय रेलों में नियुक्त किए गए ट्रेड प्रशिक्षुओं को भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित श्रम मंत्रालय की दिनांक 26.10.2010 की अधिसूचना सं. डीजीईटी-23(4) (3304)2010-एमपी (जोपसूचना की प्रतिरूपि संज्ञान हे) में यथा अधिसूचित संशोधित दरों पर 18 अक्टूबर 2010 से छान्दूति का भुगतान किया जाए। इस पर होने वाला व्यव योजन्या बजट आवंटन से पूरा किया जाए।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त विभाग के प्रति संज्ञा से जारी किया जा रहा है।

कृपया पावती दें।



(अनिल चारण)

उप निदेशक (एमपीए)

रेलवे बोर्ड